

मुख्यमंत्री कार्यालय

मध्यप्रदेश

9

गिस-2 सचिवालय

विषय :

मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा सागर जिले में की गई घोषणाओं का कियान्वयन।

का विभाग

मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को सागर जिले के प्रवास के दौरान आपके विभाग से संबंधित निम्नांकित घोषणा की गई है :-

(स्थान- केसली)

930/18-3

9/5/13

घोषणा क्रमांक-ए 3125

10 अप्रैल, 2013

" केसली को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु शीघ्र परीक्षण कराया जायेगा। "

D C
आस्था
का
पत्रिका

2/ निर्देशानुसार उपरोक्त घोषणा के कियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने का सादर अनुरोध है।

(जे. सी. भट्ट)
उप सचिव, मुख्यमंत्री

प्रमुख सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

M - K
K

4 MAY 2013

Gdm

सचिव सचिवालय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भारत (म.प्र.)

D.S.

lu-3

80/3
0

[Signature]

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

[Signature]

80/3
9/5/13

दिनांक: 04.05.2013
दिनांक: 04.05.2013

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना क्र. 64-एफ-1-19-2009-अदृढाह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद् के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुत्तर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर निगमों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है.

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर निगम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिक निगम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या

इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

1. जनसंख्या 20 हजार से कम न हो. इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सघन जनसंख्या हो.
2. प्रकरणाधीन निकाय में कृषि इतर गतिविधियां संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हों.
3. परिवर्तित होने वाली निकाय का स्वयं का राजस्व कम से कम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष हो.
4. प्रकरणाधीन निकाय में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संपत्तिकर की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो.
5. प्रकरणाधीन निकाय के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा हो.
6. प्रकरणाधीन निकाय में लगने वाले बाजार, पशु बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों.
7. ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्श्व बैठक कर सकें.
8. प्रकरणाधीन निकाय में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/नालियां पक्की होना चाहिये.
9. विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत निकाय के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्भे स्थापित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

1167

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.